



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक—जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 48 / 2022  
सेवा में,

दिनांक: 09 जनवरी, 2022

1. निदेशक शैक्षणिक,  
विश्वविद्यालय परिसर।

2. प्राचार्य/प्राचार्या  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

**विषय :- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या – 66/सत्तर-3-2022-08(20)/2020 दिनांक: 08 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक: 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रखने तथा पठन-पाठन कार्य ऑनलाईन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासन के संलग्न पत्र के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थान/परिसर में दिनांक: 10.01.2022 से 16.01.2022 तक भौतिक रूप से बन्द करते हुए पठन-पाठन कार्य ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा उक्त अवधि में पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षाएँ तथा अन्य गतिविधियाँ, यथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि यथावत कोविड-19 एस0ओ0पी0 का अनुपालन करते हुए संचालित होती रहेंगी।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

(एस0एल0 पाल)  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—**

1. माननीय कुलपति जी।
2. जनसम्पर्क अधिकारी।
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,  
उ०प्र० शासन।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक ०४ जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-3111/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 28.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन-पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जायेगा।

3- उक्त अवधि में पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षाएँ यथावत संचालित होती रहेंगी। कोविड-19 एस०आ०पी० (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


भवदीय,

  
(शमीम अहमद खान)  
सचिव।

संख्या- 66 (1)/सत्तर-3-2022, तददिनांक

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ०प्र०।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
(हरेन्द्र कुमार सिंह)  
उप सचिव।